दिनांक-11.07.2016 को उपायुक्त के निदेशानुसार अपर समाहर्त्ता, लातेहार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

अपर समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

1. **उत्पाद विभागः-** इस विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुये, इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार जून 2016 तक 1.86 करोड़ रूपये की वसूली की गई है।
2. **खनन विभागः-** उनके द्वारा वार्षिक लक्ष्य 65.27 करोड़ के विरूद्ध माह जून तक 5.23 करोड़ रूपये की वसूली की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि सी0 सी0 एल0 के द्वारा कोयले का कम डिसपैच होने के कारण वसूली में कमी आई है। इन्हें समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया।
3. **अवर निबंधक :-** अवर निबंधक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 4.98 करोड रू0 के विरूद्ध जून माह तक 0.60 करोड़ रूपये की राजस्व की प्राप्ति हुई है। इनके द्वारा बताया गया कि सर्वर में गड़बड़ी रहने के कारण निबंधन का कार्य बाधित हुआ है, जिसके कारण वसूली कम हुई है।
4. **नगर पंचायतः-** कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजस्व की प्राप्ति में तेजी लाये। उनके द्वारा वार्षिक लक्ष्य 17.84 लाख रू0 के विरूद्ध मात्र 0.03 लाख रूपये की वसूली की गई है, जो बहुत ही कम है।
5. **लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहारः-** प्रतिनिधी उपस्थित थे। इनके द्वारा बताया गया कि 1.75 लाख रूपये की वसूली की गई है।
6. **विधुत विभाग :-** कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल, लातेहार के उपस्थित प्रतिनिधी के द्वारा बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 10.80 करोड़ के विरूद्ध 1.98 करोड़ रू0 की वसूली की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि अवैध कनेक्शन वालें उपभोक्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
7. **राष्ट्रीय बचत :-** इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर माह जून 2016 तक 4.40 करोड़ रू0 की वसूली की गई है।
8. **वाणिज्यकर विभागः-** इस विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुये, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार अंचल-पलामू के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 165.38 करोड़ के विरूद्ध 29.10 करोड़ रूपये की वसूली की गई है।
9. **परिवहन विभागः-** जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 8.55 करोड़ रू0 के विरूद्ध 1.28 करोड़ रूपये की वसूली की गई। इन्हें निदेश दिया गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वाहन चेंकिग का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
10. **मत्स्य विभाग :-** जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपस्थित थे। इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार 1.85 लाख रूपये की वसूली की गई है।
11. **मात तौल विभाग :-** विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे, जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकी।
12. **राजस्व लगानः-** सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी राजस्व कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण कर राजस्व की वसूली करना सुनिश्चित करे।
13. **अवैध भूमि हस्तान्तरण/ जमाबन्दीः-** अंचल अधिकारी, लातेहार के द्वारा 439 अवैध जमाबंदी होने का सूचना दिया गय। उन्हें निदेश दिया गया कि अलग-अलग अभिलेख तैयार कर संबंधित व्यक्ति को सूचना निर्गत करें। सरकार के द्वारा निदेश के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

14. भू-अर्जनः- भू-अर्जन के अन्तर्गत भुगतान के लिए लम्बित राशि का भुगतान हर हाल में 25 जूलाई 2016 तक पूर्ण कर लिया जाना है। बैठक में ही निदेश दिया गया कि 13-14 जूलाई 2016 को बालूमाथ अंचल के मकईटाड़ एवं 15 जूलाइ 2016 को चन्दवा अंचल के चकला में कैम्प आयोजित कर भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

15. खासमहाल भूमिः- खाममहाल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, लातेहार/ मनिका/बरवाडीह को निदेश दिया गया कि खासमहाल भूमि के नवीनीकरण के कार्य में गति लाना सुनिश्चित करें। सभी लीजधारक को नोटिस निर्गत कर तामिला प्रतिवेदन खासमहाल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16. दाखिल-खारिजः- अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि सप्ताह में बुधवार एवं शुक्रवार को दाखिल-खारिज कैम्प लगाकर किया जाना है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि माहवार कैम्प की तिथि करें एवं इसका आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो।

17. भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरणः- अंचल अधिकारी, चन्दवा एवं लातेहार के द्वारा बताया गया कि 25 जूलाई 2016 तक डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर ऑन लाईन करने हेतु डाटा सी0 डी0 में तैयार कर उपलबध करा दी जायेगी। अंचल अधिकारी, बालूमाथ एवं महुआडाड़ के द्वारा बताया गया कि डाटा इन्ट्री का कार्य द्रूत गति से किया जा रहा है।

18. टाना भगतः- टाना भगत के मामलें में निम्न निदेश दिये गये कि निम्न प्रकार से प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जो इस प्रकार हैः- (क) कैम्प की तिथि (ख) प्राप्त आवेदनों की संख्या (ग) आवेदनों की प्रकृति (घ) निष्पादन की संख्या (ड0) अवशेष की संख्या।

19. धार्मिक संरचनाः- धार्मिक संरचना के नाम पर किये गये अतिकमण एवं क्या कार्रवाई की गई से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक-04.07.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें।

20. अन्यान्यः- प्रायः देखा जा रहा है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलें में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी संकल्प एवं आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया जाता है कि विभाग द्वारा निर्धारित संकल्प एवं निदेश का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी लम्बित भू-हस्तान्तरण से संबंधित मामले का अभिलेख तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 14.7.16
अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा,
लातेहार।

ज्ञापांक...775.../रा0 दिनांक...14.7.16...

प्रतिलिपिः- संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सरकार के उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- आयुक्त के सचिव, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14.7.16

ह0 14.7.16
अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा,
लातेहार।

D-drive/latestshambhu/a.sir/samiksha/20-02-1483